

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :: जबलपुर

—: आदेश :-

क्रमांक 274/स्था सैट/2025

जबलपुर, दिनांक 15/05/2025

श्रीमती मीनू निगम, सहायक ग्रेड-3 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में वर्णित प्रावधानानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र-28 दिनांक 21.04.2025 को एतद् द्वारा स्वीकार करते हुये उन्हें दिनांक 01.07.2025 (अपरान्ह) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सद/-
(धरमिंदर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृ. क्रमांक 275/स्था सैट/2025

जबलपुर, दिनांक 15/05/2025

01. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके पत्र क्रमांक प्रशा./17 पी (सैट)/1235 इंदौर दिनांक 24.04.2025 के संबध में।
02. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-ग्वालियर
03. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (न्यायिक) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
04. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
- ✓ 05. रजिस्ट्रार आई.टी. (सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
06. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
07. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय इंदौर।
08. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर
09. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
11. लेखधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर।
12. सहायक स्थापना/लेखा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर एवं खण्डपीठ इंदौर।
13. श्रीमती मीनू निगम, सहायक ग्रेड-3 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)